निग0- 63089/2018/सिंगरौली/भू-रा0 (63) (170)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सर्टिफाइड कॉपी रखा —

निरंजन लाल तनय स्व. राजराखन राम ब्रा0 उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम खडौरा तह0 देवसर जिला सिंगरौली म.प्र. ....आवेदक / उत्तरवादी

बनाम

लाल बहादुर तनय स्व. राजराखन राम ब्रा0 उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम खडौरा तह0 देवसर जिला सिंगरौली म.प्र.

म0प्र0 शासन .... अनावेदक / अपीलार्थी

अधि0 श्री रामाश्रय शुक्ला द्वारा पेश / 21.5.18

निगरानरी विरुद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 प्रकरण कमांक 102 अपील 2016–17 पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 पारित अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मानयवर,

प्रकरण के तथ्यः–

1. यह कि अनावेदक / अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बरगवॉ तह. देवसर स्थित ख.क. 27 रकवा 0.19 हे0 के संबंध में श्री टी.एल. बीरभनानी तहसीलदार महोदय, तह. देवसर द्वारा पारित प्रकरण क. 54–अ–6 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2003 के विरुद्व प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवसर के न्यायालय में म.प्र. भू.रा.सं. 1959 की धारा 44 (1) के तहत् अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ में अपीलार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत् बिलम्ब क्षमा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त आवेदन पत्र पर उभयपक्षों का जवाव एवं तर्क श्रवण किया जा कर दिनांक 24.04.2018 को आदेश पारित करते हुए अनावेदक / अपीलार्थी की अपील में प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील समय–सीमा के अन्तर्गत मान्य कर ली गई है। जिससे व्यथित होकर आवेदक / उत्तरवादी द्वारा माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही हैः–

(63)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3089 / भू–रा0 / 2018 जिला–सिंगरौली

निरन्जनलाल / लालबहादुर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 102 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	